



2026:AHC:15972

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19743 वर्ष 2025

अमलेश कुमार और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अभिषेक कुमार मिश्रा, हरी ओम शरण तिवारी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक कुमार मिश्रा और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार मिश्रा की बात सुनी।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यद्यपि जिला बस्ती के जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा दिनांक 15.06.2025 को पारित आदेश के अनुसार सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत याचिकाकर्ताओं का तबादला कर दिया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता अपनी राहत को अपने अभ्यावेदन पर विचार करने तक सीमित रखते हैं।
3. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता के दावे की जांच सर्वप्रथम प्रतिपक्षी संख्या 3 द्वारा की जानी चाहिए।
4. बार में प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रतिपक्षी संख्या 3 के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिस पर प्रतिपक्षी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

5. याचिकाकर्ता को यह संरक्षण तभी प्राप्त होगा, जब वह स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

22 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)